



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252371
CG-DL-E-26022024-252371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945

No. 815]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

का.आ. 855(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 21 के उप-पैरा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन उसके द्वारा, प्रतिशतता, कवरेज के भौगोलिक क्षेत्र और लागू होने की अवधि विनिर्दिष्ट करने संबंधी, प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाय बोर्ड द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

[फा.सं. के-57023/17/2023-प्लॉट क]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O. 855(E).—In exercise of the power conferred by section 47 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby directs that any power exercisable by it under section 30 of the said Act, read with sub-paragraph (1) of paragraph 21 of the Tea (Marketing) Control Order, 2003 with regard to specifying percentages, geographical area of coverage and period of applicability may also be exercised by the Tea Board with the prior approval of the Central Government.

[F.No. K-57023/17/2023-PLANT A]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.